[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना
सं. 21/2017 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2017 के नियम 12 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि कोई 'विनिर्माता', जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन पञ्जीकृत था (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'विनिर्माता' कहा गया है), अभी हाल तक प्रचलित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे उत्पाद शुल्क के संदाय का साक्ष्य देने के लिए, जो उसके द्वारा जुलाई, 2017 की पहली तारीख से पहले (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'ऐसी तारीख' कहा गया हैं) जिसको केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'सीजीएसटी अधिनियम, 2017' कहा गया है) प्रवृत्त हुआ है, किसी बीजक के अधीन उसके द्वारा विनिर्मित और निकाले गए माल पर संदत्त किया जाता है, किसी ऐसे व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'व्यवहारी' कहा गया है), जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन पञ्जीकृत नहीं था, किंतु सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के उपबंधों के अधीन पञ्जीकृत है, और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रारंभ की तारीख को भण्डार में धारित ऐसा विनिर्मित माल उसके कब्जे में है, ऐसी परिसीमाओं, शर्तों और प्रक्रियाओं के अधीन रहते हुए, जो यहाँ दी गयी है, प्रत्यय अंतरण दस्तावेज (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'सीटीडी' कहा गया हैं) जारी कर सकेगा :

1. (i) ऐसे माल का मूल्य प्रति मद पच्चीस हजार रुपए से अधिक होना चाहिए ।

   (ii) माल पर विनिर्माता या प्रधान विनिर्माता के ब्रांड का नाम होना चाहिए और वे किसी कार की चैसिस या इंजन संख्या जैसी सुभिन्न संख्या द्वारा पहचान योग्य होना चाहिए ।

   (iii) विनिर्माता द्वारा ऐसे माल की निकासी और उसकी प्रत्येक कीमत के संबंध में संदाय के गए शुल्क का सत्यापनीय अभिलेख अनुरक्षित किया गया हो और वह किसी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए मांगे जाने पर उपलब्ध हो ।

   (iv) सीटीडी क्रमिक रूप से संख्यांकित होगा और उसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्या, संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग का पता, उस व्यक्ति का

जिसे वह जारी किया गया है, नाम, पता और जीएसटीआईएन संख्या, विवरण, वर्गीकरण, हटाए जाने की तारीख सहित बीजक संख्यांक, परिवहन की रीति और यान पञ्जीकृत संख्या, शुल्क की दर, मात्रा और उस पर संदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट मूल्य और उत्पाद शुल्क अंतर्विष्ट होगा ।

(v) विनिर्माता का यह समाधान हो जाना चाहिए कि व्यवहारी, जिसे सीटीडी जारी किया गया है, के कब्जे में विनिर्मित माल उस रूप में है जिसमें उसके द्वारा उसकी निकासी की गई थी ।

(vi) सीटीडी ऐसी तारीख के, जिसको सीजीएसटी अधिनियम, 2017 प्रवृत्त हुआ है, पैंतालीस दिन के भीतर जारी किया जाएगा और तत्स्थानी बीजक (बीजकों) की प्रति उसके साथ संलग्न की जाएगी ।

(vii) सीटीडी का उपयोग करने वाले व्यवहारी द्वारा विनिर्माता से व्यवहारी को जिसके अंतर्गत मध्यवर्ती व्यवहारी भी है (हैं) माल के विक्रय और क्रय से संबंधित सभी बीजकों की प्रतियां अनुरक्षित की गई हों ।

(viii) सीटीडी किसी ऐसे व्यवहारी के पक्ष में जारी नहीं की जाएगी जिसे ऐसी तारीख के पहले उसी माल के लिए बीजक जारी किया गया था ।

(IX) विनिर्मित माल पर सीटीडी का उपभोग करने वाला कोई व्यवहारी, व्यवहारी के भण्डार में उपलब्ध उसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित माल पर सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 117 के उप-नियम (4) के उपबंध के अधीन प्रत्यय के उपभोग करने का पात्र नहीं होगा ।

(X) सीटीडी के आधार पर प्रत्यय का उपभोग करने वाला कोई व्यवहारी, ऐसे माल का प्रदाय करने के समय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 31 के अधीन उसके द्वारा जारी बीजक में की तत्स्थानी सीटीडी संख्या का उल्लेख करेगा ।

2. जहां कोई विनिर्माता जो माल के लिए सीटीडी जारी करता है, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसी माल पर दो बार केन्द्रीय कर के प्रत्यय का उपभोग करता है वहां वह संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से व्यवहारी द्वारा उपभोग किए गए अधिक प्रत्यय के लिए दायी होगी और ऐसे विनिर्माता को, केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2017 के अधीन प्रत्यय, ब्याज और शास्ति की वसूली से संबंधित उपबंध ज्यों के त्यों लागू होंगे ।
3. सीटीडी जारी करने वाला विनिर्माता, ऐसी तारीख के साठ दिन के भीतर सामान्य पोर्टल पर टीआरएएनएस 3 की सारणी 1 में ब्यौरे प्रस्तुत करेगा ।
4. सीटीडी पर प्रत्यय का उपभोग करने वाला व्यवहारी ऐसी तारीख के साठ दिन के भीतर सामान्य पोर्टल पर टीआरएएनएस की सारणी 2 में उसके ब्यौरे प्रस्तुत करेगा ।

5. सीटीडी जारी करने वाला कोई विनिर्माता प्ररूप टीआरएएनएस 3क में अभिलेख बनाए रखेगा और ऐसा अभिलेख, सत्यापन के लिए मांग पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा ।
6. सीटीडी पर प्रत्यय का उपभोग करने वाला कोई व्यवहारी प्ररूप टीआरएएनएस 3ख में अभिलेख बनाए रखेगा और ऐसा अभिलेख, सत्यापन के लिए मांग पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा ।

ट्रान्स 3

टेबुल 1. सीटीडी जारी करने वाला विनिर्माता फाइल किया जाए

क्रम सं.	ऐसे व्यवहारी का जीएसटीआईएन जिसे सीटीडी जारी किया गया है	जारी किए गए सीटीडी की कुल संख्या	बीजकों की संख्या जिसके लिए सीटीडी जारी किए गए है	कुल परिमाण जिसके लिए सीटीडी जारी किया गया है	माल का कुल मूल्य जिसके लिए सीटीडी जारी किए गए है	ऐसे माल पर संदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

ट्रान्स 3

टेबुल 2. सीटीडी पर प्रत्यय का उपभोग करने वाले व्यवहारी द्वारा फाइल किया जाए

क्रम सं.	सीटीडी करने वाले विनिर्माता का जीएसटीआईएन	प्राप्त किए गए सीटीडी की कुल संख्या	बीजकों की संख्या जिसके लिए सीटीडी जारी किए गए है	कुल परिमाण जिसके लिए सीटीडी जारी किया गया है	माल का कुल मूल्य जिसके लिए सीटीडी जारी किए गए है	ऐसे माल पर संदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	व्यवहारी द्वारा उपभोग किया गया प्रत्यय

ट्रान्स 3क

1. सीटीडी जारी कर रहे विनिर्माता द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले दस्तावेज

क्रम सं.	सीटीडी की सं.	बीजकों की संख्या जिसके लिए सीटीडी जारी किए गए है	बीजक की तारीख	वह मास जिसमें बीजक के लिए निकासियां की गई थी	सभी मध्यवर्ती क्रेताओं और विक्रेताओं की जीएसटीआईएन संख्या जिनके माध्यम से माल संक्रांत किया गया है	माल का मूल्य	संदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

ट्रान्स 3ख

1. सीटीडी पर प्रत्यय का उपभोग करने वाले व्यवहारी द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले दस्तावेज

क्रम सं.	सीटीडी की सं.	बीजकों की संख्या (संख्याएं) जिसके लिए सीटीडी जारी किए गए है	वह मास जिसमें बीजक के लिए निकासियां की गई थी	सभी मध्यवर्ती क्रेताओं और विक्रेताओं की जीएसटीआईएन संख्या जिनके माध्यम से माल संक्रांत किया गया है	माल का मूल्य	उन पर संदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

2. ये जुलाई, 2017 की पहली तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

[फा.सं.267/22/2017-सीएक्स.8]

(रोहन)
अवर सचिव, भारत सरकार